

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कमिश्नर मुकाम डो सिम.
 जौमराम कोरि बनाम तहसीलदार लिपरी
 मुकदमा 131 & 136 LRA-1 दिवरी 170/2018

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए

1-19 जर्गीण जौमराम नवपाराम पि० रताराम को एठ जर्गीना पत्र अल्फलि द्वारा 136, 131 LRA-1 का पेश किया गया जो रजि 2/1623 किया गया।
 पत्रावली का हमान खर्च व अवलोकन किया गया। असाथी तहसीलदार लिपरी द्वारा उत्तुत जवाब से ग्राम पाचला खुर्द तहसील लिपरी के खसरा नम्बर 487 के मे से 0-10 बीघा भूमि समर्पण की जिस पर नामा 328 ए० 1705 स्वीकार किया उक ना. 310 की पुश्त पर तामीम की गई उसके पश्चांत खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से बय्याप किया जिसका ना. 2742 स्वीकार किया गया। उक ककल की पुश्त पर विभाजन खसरा नं. 487 को गलत दिशा से दर्शाया गया जो गलत है ककल ०. 1705 की पुश्त पर अंकित की गई तामीम ही शुरु है उक्त शुरु है तहसीलदार लिपरी ने अपनी अनुशरण की गई। इसके साथ क. व. वी. ए. वी. पेश की।
 इस सम्बन्ध में खातेदार जौमराम निम्नाराम पुनाराम जौमराम पि० भीखाराम नवपाराम जौमराम पि० रताराम को भी अपनी सहमति स्याम रु. 500/- पर अपनी सहमति दी गई है।
 अतः जर्गीण का जर्गीना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पाचला खुर्द से खिने. 487 रुका 0-10 बीघा भूमि का नामान्तरण 328

न्यायक कमिश्नर, डो सिम

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

संख्या
अहम
हुक्म
में

संख्या 1705 की पुस्त पर भी गड़ी
तरकीफ की खरी माना जाता है।
तहसीलदार गिरफ्तारी के आदेश की
पापना है तहरीर जारी थी।
पञ्चावली फ़ैसल शुभ्राट धर
गम्बर से कम की जाकर 41 रकल
दस्ता है।

जयपुर नोट, सीविका

21-19 आशी गामाराय के आर्थिक पत्र पेश होने
पर तलब की गड़ी एवं आदेश दिनांक
21-19 में वशोधन करते हुए 40
आदेश दिया जाता है कि सामान्य कार्य
संख्या 2742 पर भी गड़ी तरकीफ
को निरस्त किया जाता है तथा
तहसीलदार गिरफ्तारी के आदेशित
किया जावे। तहरीर जारी थी।
पञ्चावली फ़ैसल शुभ्राट
धर गम्बर से कम की जाकर
41 रकल दस्ता है।

जयपुर नोट, सीविका